## धारा 126 : शास्ति से संबंधित साधारण अनुशासन

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, कर विनियमों या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के लघु भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में किसी ऐसे लोप या गलती, जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा जो कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण :** इस उपधारा के प्रयोजन के लिए–

**(क)** यदि किसी भंग में पांच हजार रुपए से कम का कर अंतर्वलित है तो वह ''छोटा भंग'' माना जाएगा;

**(ख)** दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी यदि वह अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति प्रत्येक मामले के तथ्यों पर और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की डिग्री और गंभीरता के अनुपात में होगी।

(3) किसी व्यक्ति पर उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के लिए किसी आदेश द्वारा शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट की गई है।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले कर विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है, तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य को न्यूनकारी घटक के रूप में विचार में ले सकेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की गई है।